न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2020-110(GCMS2020-00261) RTA223 Fakiraram Vs Vishanaram etc

1- फकीराराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा
2- नखताराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा
3- लक्ष्मणराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा
4- बंशीलाल पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा
5- पुखराज पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा
6- देदाराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा
सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम होपारड़ी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
7- अमु पुत्री राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं मीरा पत्नी तोलाराम जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम बिठड़ी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. विशनाराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
2. मोहनराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
3. पदमाराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
4. सुरजाराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
5. खेमचंद पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
6. छगनाराम पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
7. ऊंकारमल पुत्र राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची
फौत के कायम मुकामः -
1.1. अमु पत्नी ऊंकारमल
1.2. संजय पुत्र ऊंकारमल
1.3. संदीप पुत्र ऊंकारमल
1.4. सागर पुत्र ऊंकारमल
1.5. वासुदेव पुत्र ऊंकारमल
1.6. पुजा पुत्री ऊंकारमल
1.7. जसराज पुत्र ऊंकारमल
प्रत्यर्थी संख्या 7.2 से 7.7 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अमूदेवी पत्नी ऊंकारमल
8. अणची पत्नी राऊराम उर्फ राऊड़ा
सभी जाति मेघवाल निवासीगण होपारडी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

9. छोटी पुत्री राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची पत्नी अर्जनराम जाति मेघवाल, निवासी रामनगर पडियाल, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
10. केकु पुत्री राऊराम उर्फ राऊड़ा एवं अणची पत्नी देवाराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम खींचन, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
11. तहसीलदार फलोदी

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2019 राजस्व वाद संख्या 51/2016 फकीराराम व अन्य बनाम विशनाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 21 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2016 फकीराराम व अन्य बनाम विशनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 26 जुलाई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 अक्तूबर 2020 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद राजस्व ग्राम बीठडी पटवार हळका मोखेरी स्थित आराजियात में अपने पिता राऊराम उर्फ राऊडा का निम्नलिखित तालिका में अंकितानुसार हिस्सा दर्शाते हुए तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा --

क्र.	खसरा नम्बर	रकबा		राऊराम उर्फ राऊडा का हिस्सा		
		बीघा	बिस्वा	सम्पूर्ण खसरा में हिस्सा	रकबा	
					बीघा	बिस्वा
1	162	45	10	¼	11	07
2	165	97	01	½	48	15
3	166	98	01	¼	24	10
4	167	28	07	¼	7	02
5	265	101	08	¼	25	10
6	266	75	07	¼	18	17
7	267	41	17	¼	10	09
	योग				146	10

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए और वाद वास्ते जबाबदावा लम्बित रहने के दौरान एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत पूर्व में एक वाद संख्या 413/2012 लक्ष्मणराम बनाम फकीराराम प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 30 मई 2016 को जरिये विड्रोल खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों को छुपाते हुए समान विवाद, समान पक्षकारान एवं समान विषय-वस्तु और प्रकृति का आलौच्य वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए मूल वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2019 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में प्रस्तुत वाद विड्रोल करने हेतु प्रार्थनापत्र नया दावा पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए पेश किया गया था और उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर पूर्ववर्ती वाद जरिये विड्रोल खारिज किया गया है, पूर्ववर्ती वाद में गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इसलिए धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट्स को प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं होना बताते हुए कहा था कि जब आवश्यकता होगी, अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित कर बुला लिया जावेगा। किन्तु उसके बाद अधिवक्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और मौके पर रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजियात के अच्छे भू-भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो अपीलाण्ट्स द्वारा फलोदी आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जाने पर अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित हो जाने बाबत बताया। तब अपीलाण्ट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकलें प्राप्त करने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन किया और दिनांक 5 अक्तूबर 2020 को नकलें प्राप्त होने पर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रस्तुत अपील मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर मामला विचारण न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 10 ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत पूर्व में एक वाद संख्या 413/2012 लक्ष्मणराम बनाम फकीराराम प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 30 मई 2016 को जरिये विड्रोल खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों को छुपाते हुए समान विषय-वस्तु, समान पक्षकारान एवं समान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवाद और प्रकृति का प्रस्तुत वर्तमान वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा विधिक भूल नहीं की गयी है। प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियादबाधित होने के तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा धारा 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए वादीगण-अपीलाण्ट्स का द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज किया गया है। रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से संबंधित धारा 11 सीपीसी इस प्रकार है -

> कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या सारत (directly or substantially) विवाद्ध-विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनसे कोई वाद करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है।

धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों एवं संबंधित विचारणीय बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य प्रकरण कसौटी पर रखने पर यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-पक्ष की ओर से धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में पद संख्या 2 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि "... उक्त दावे को वादीगण ने 30.05.2016 को जरिये विड्रोल खारिज करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उसी रोज दावे को खारिज किया गया..."। इससे जाहिर है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 413/2012 लक्ष्मणराम बनाम फकीराराम का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नहीं किया जाकर जरिये विड्रोल खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद धारा 11 सीपीसी के परन्तुक 6 के अनुसार रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना नहीं पाया जाता है।

चूंकि आलौच्य अपील उपरोक्तानुसार गुणावगुण पर सारवान प्रकट होती है, अतः मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के कारण पक्षकार के लिए न्यायप्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर धारित मतानुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 26 जुलाई 2019 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार कार्यवाही करते हुए उभयपक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर मूल वाद का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.2022
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर